

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या :- 40/2023 (धारा 14 सेक्युरिटीजेशन)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा : जगतपुरा, 11, विवेक कॉलोनी, जगतपुरा, जिला जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती हंसा कंवर पत्नी श्री बाबू सिंह,
पता :- फ्लैट नम्बर टी-1, तृतीय तल, प्लॉट नम्बर 575, (नोर्थ पार्ट पोर्शन), जगदम्बा अपार्टमेन्ट, स्वर्ण विहार, हाज्यावाला, मुहाना मण्डी गेट नम्बर 2 के पास, सांगानेर, जयपुर।
एवं 75/57, प्रताप नगर, सेक्टर 75, श्योपुर रोड, सांगानेर, जयपुर।
एवं बडगाव सुरखण्ड, महादेव जी का मन्दिर, बडगाँव, गिनाय, अजमेर।
2. श्री भंवर सिंह पुत्र श्री पाबू सिंह,
पता :- 75/57, प्रताप नगर, सेक्टर 75, श्योपुर रोड, सांगानेर, जयपुर।
एवं फ्लैट नम्बर टी-1, तृतीय तल, प्लॉट नम्बर 575, (नोर्थ पार्ट पोर्शन), जगदम्बा अपार्टमेन्ट, स्वर्ण विहार, हाज्यावाला, मुहाना मण्डी गेट नम्बर 2 के पास, सांगानेर, जयपुर।
एवं मैसर्स आर.के. ब्रदर्स, 10 दुग्ध चक गैटोर, प्रताप नगर, जयपुर।
3. श्रीमती पिकू कंवर पुत्री श्री पाबू सिंह,
पता :- 75/57, प्रताप नगर, सेक्टर 75, श्योपुर रोड, सांगानेर, जयपुर।
एवं श्री वीर टेलीकॉम, दुकान नम्बर 17, मालपुरा गेट, पावर हाउस के सामने, सांगानेर, जयपुर।
एवं फ्लैट नम्बर टी-1, तृतीय तल, प्लॉट नम्बर 575, (नोर्थ पार्ट पोर्शन), जगदम्बा अपार्टमेन्ट, स्वर्ण विहार, हाज्यावाला, मुहाना मण्डी गेट नम्बर 2 के पास, सांगानेर, जयपुर।
एवं मैसर्स आर.के. ब्रदर्स, 10 दुग्ध चक गैटोर, प्रताप नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र खोरानिया, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 13.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13-12-2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती हंसा कंवर के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लैट नम्बर टी-1, तृतीय तल, प्लॉट नम्बर 575, (नोर्थ पार्ट पोर्शन), जगदम्बा अपार्टमेन्ट, स्वर्ण विहार, हाज्यावाला, मुहाना मण्डी गेट नम्बर 2 के पास, सांगानेर, जयपुर सुपर बिल्डअप क्षेत्रफल 1420 वर्ग फीट को बन्धक रख कर 23,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक

497
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

- 19.07.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
 3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 23,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 23,82,670.60/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 19.07.2022 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
 4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती हंसा कंवर के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर टी-1, तृतीय तल, प्लॉट नम्बर 575, (नोर्थ पार्ट पोर्शन), जगदम्बा अपार्टमेन्ट, स्वर्ण विहार, हाज्यावाला, मुहाना मण्डी गेट नम्बर 2 के पास, सांगानेर, जयपुर सुपर विल्डअप क्षेत्रफल 1420 वर्ग फीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
 5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
 6. आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

५७०
(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलकत्ता) जयपुर